बिहार सरकार

अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय

(योजना एवं विकास विभाग)

का०आ०सं०– स्था०1/आ०02–16/2016 178 पटना, दिनांक: 31/12/2020

कार्यालय आदेश

श्री अरूण कुमार, तत्कालीन प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, राजपुर प्रखंड, बक्सर सम्प्रति प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी, बड़हरा प्रखंड, भोजपुर (आरा) के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, बक्सर के पत्रांक–04–0424/आ० दिनांक–14.03.2016 द्वारा समर्पित आरोप पत्र के आधार पर निदेशालय के का०आ०सं०–80 सहपठित ज्ञापांक–605 दिनांक–29.03.2016 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एंव अपील) नियमावली, 2005 के नियम –17 के तहत विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गयी। इस विभागीय कार्यवाही में अपर समाहर्त्ता (विभागीय जाँच), बक्सर को संचालन पदाधिकारी तथा जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, बक्सर को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया। उक्त विभागीय कार्यवाही में जिला पदाधिकारी, बक्सर के आदेश द्वारा अपर समाहर्त्ता (वि० जाँच) बक्सर का पद रिक्त रहने के कारण उप विकास आयुक्त, बक्सर को संचालन पदाधिकारी नामित किया गया जिसे निदेशालय के का०आ०सं०–140 सहपठित ज्ञापांक–506 दिनांक–17.03.2017 द्वारा संपुष्ट किया गया, लेकिन संचालन प्रतिवेदन अपर समाहर्त्ता, बक्सर –सह–संचालन पदाधिकारी, बक्सर द्वारा भेजा गया है।

निदेशालय के पत्रांक–1540 दिनांक–09.07.2020 द्वारा जिला पदाधिकारी, बक्सर से अपर समाहर्त्ता, बक्सर को संचालन पदाधिकारी नामित करने संबंधी आदेश/पत्र भेजने का अनुरोध किया गया। उक्त के आलोक में जिला पदाधिकारी, बक्सर के पत्रांक–03–1535 /रा० दिनांक–12.10.2020 द्वारा सूचित किया गया है कि श्री अरूण कुमार के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को ससमय निष्पादित कर प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराने का निदेश अपर समाहर्त्ता, बक्सर को दिया गया था जिसके आलोक में जाँच प्रतिवेदन भेजा गया है।

इस मामले में श्री अरूण कुमार के विरूद्ध धनसोई थाना कांड संख्या 12/16 दिनांक–07.02.2016 दर्ज किया गया। निदेशालय के का०आ०सं०–228 सहपठित ज्ञापांक–1783 दिनांक–14.09.2016 द्वारा श्री अरूण कुमार के विरूद्ध अभियोजन की स्वीकृति प्रदान की गयी।

श्री अरूण कुमार, तत्कालीन प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, राजपुर प्रखंड, बक्सर संप्रति प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी, बड़हरा प्रखंड, भोजपुर(आरा) के विरूद्ध निम्न आरोप गठित किये गये :–

(i) खरीफ विपणन मौसम 2013–14 में कार्यालय आदेश ज्ञापांक 04–0101/आ० दिनांक 06.02.2014 द्वारा आपको क्रय केन्द्र प्रभारी के रूप में राजपुर, इन्दापुर क्रय केन्द्र पर प्रतिनियुक्त किया गया था। आपके द्वारा क्रय केन्द्र प्रभारी के रूप में धान की अधिप्राप्ति की गई थी। क्रय किये गये धान के विरूद्ध राज्य खाद्य निगम, बक्सर द्वारा निर्गत भंडारनिर्गमादेश पर आपके द्वारा धान की सम्पूर्ण मात्रा की आपूर्त्ति मिलरों को नहीं की गई ।

(ii) मिलरों द्वारा उपलब्ध कराये गये चालान के मिलान से विदित होता है कि आपके द्वारा अधिप्राप्ति मद में प्राप्त धान के विरूद्ध 2811.80 क्विंटल धान मिलरों को आपूर्ति नहीं की गई। इस प्रकार अवशेष 2811.80 क्विंटल धान @ 67% CMR=1883.906 क्विंटल सी०एम०आर० की आपके कारण क्षति/गबन हुआ। जिसका कुल मूल्य 2478.56 रू० प्रति क्विंटल की दर से 46,69,374.00 रू० होता है। अवशेष धान की निलामी 425.00 प्रति क्विंटल की दर से हुआ, जिससे निगम को 11,95,015.00 रूपया प्राप्त हुआ। इस प्रकार निगम को 46,69,374.00–11,95,015.00 = 34,74,359.00 रूपये की क्षति हुई।

आपका यह कृत्य सरकारी सेवक आचार नियमावली की उपबन्धों के प्रतिकूल है।

2. अपर समाहर्त्ता, बक्सर–सह–संचालन पदाधिकारी के पत्रांक–03–0382/रा० दिनांक–06.02.2020 द्वारा श्री अरूण कुमार, तत्कालीन प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, राजपुर प्रखंड, बक्सर संप्रति प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी, बड़हरा प्रखंड, भोजपुर(आरा) के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। संचालन–सह–जाँच प्रतिवेदन में संचालन पदाधिकारी द्वारा दिया गया मंतव्य निम्नवत् है :–

"आरोपी कर्मी श्री अरूण कुमार, प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, राजपुर प्रखंड, बक्सर संप्रति प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी, बड़हरा प्रखंड, भोजपुर(आरा) के विरूद्ध गठित आरोप पत्र प्रपत्र 'क' में उल्लेखित आरोप, आरोपी कर्मी से प्राप्त स्पष्टीकरण, उपस्थापन पदाधिकारी का मंतव्य तथा अभिलेख में संधारित अन्य कागजातों के परिशीलन से स्पष्ट होता है कि श्री कुमार के विरूद्ध प्रपत्र 'क' में गठित सभी आरोप प्रमाणित होता है ।

श्री अरूण कुमार के विरूद्ध प्रपत्र 'क' में गठित सभी आरोप प्रमाणित होने का प्रतिवेदन दिया गया है। संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोप प्रमाणित पाये जाने के समर्पित जाँच प्रतिवेदन पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–18(3) के तहत श्री अरूण कुमार से अभ्यावेदन प्राप्त किया गया। श्री अरूण कुमार ने समर्पित अपने अभ्यावेदन में निम्न तथ्यों का उल्लेख किया है:–

(i) श्री अरूण कुमार को वित्तीय वर्ष 2013–14 एवं 2014–15 के लिए इन्दापुर क्रय केन्द के प्रभारी के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया था। उनके द्वारा कहा गया है कि गोदाम में 2811.80 क्विंटल धान मौजूद था लेकिन बिना किसी सूचना के अधिकारियों के द्वारा उक्त धान की नीलामी कर दी गयी। धान खराब गुणवत्ता का होने के कारण मिलर या राज्य खाद्य निगम द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है एवं इस आशय का रिकार्ड भी नहीं है।

(ii) उनके द्वारा दिनांक–30.05.2014 को एक आवेदन देकर धान खरीदने के समस्या को बताया गया लेकिन समस्या को हल करने का कोई उपाय नहीं किया गया। संलग्न दस्तावेजों और एफ०आई०आर० में दिये गये बयानों से स्पष्ट है कि चावल के एक ग्राम का भी नुकसान नहीं हुआ है बल्कि धान के सभी शेष मात्रा को नष्ट कर दिया गया है।

(iii) क्रय केन्द्र इन्दापुर के पत्रांक–73 दिनांक–04.09.2014 द्वारा गोदाम से शेष धान के उठाव के लिए जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, बक्सर से अनुरोध किया गया जिसे नजरअंदाज कर दिया गया।

(iv) नीलामी किये गये धान की गुणवत्ता खराब गुणवत्ता की नहीं है बल्कि साधारण धान के समान है।

(v) दिनांक–13.12.2014 को उनके द्वारा एक आवेदन भी दायर किया गया है जिसमें गोदाम में संग्रहित धान के उठाव की प्रार्थना की गयी है। लेकिन इनके अनुरोध को नहीं माना गया जो इस तथ्य को प्रमाणित करता है कि इस ममाले में उन्हें दुर्भावना पूर्ण तरीके से उन्हें आरोपित किया गया है।

(vi) जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, बक्सर ने बिना किसी स्टॉक निरीक्षण के पत्रांक–1035 दिनांक–20.05.2015 द्वारा अवशेष धान 2811.80 क्विंटल की राशि जमा करने के लिए निर्गत कर दिया। राज्य खाद्य निगम, बक्सर के पत्रांक–1406 दिनांक–15.07.2015 द्वारा इन्हें सूचित किया गया कि धान अधिप्राप्ति वर्ष 2013–14 बचे अवशेष धान की नीलमी हो चुका है जिसका एस०आई०ओ० अधिकतम डाकवक्ता के नाम से निर्गत कर दिया गया है जिसमें अंकित मात्रानुसार धान का आपूर्ति करना सुनिश्चित करें। यह स्पष्ट रूप से साबित करता है कि दोनो पत्र एक दूसरे के विरोधाभाषी हैं।

(vii) प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी ने उनके द्वारा प्रस्तुत तथ्य से इन्कार नहीं किया है और क्षति के कारण को स्वीकार किया है तथा कहा है कि याचिकाकर्त्ता को दोषी ठहराना सही नहीं लगता है।

(viii) इनका कहना है कि इन्हें न तो बचाव में साक्ष्य देने का अवसर दिया गया है, न ही विभाग में इन्हें मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने का मौका दिया गया।

3. श्री अरूण कुमार द्वारा अपने अभ्यावेदन में उन्ही तथ्यों का उल्लेख किया गया है जो इनके द्वारा संचालन पदाधिकारी को दिये गये अभ्यावेदन में दिया गया है । इनके द्वारा किसी नये तथ्य का उल्लेख अपने अभ्यावेदन में नहीं किया गया है।

4. संचालन पदाधिकारी के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए कि श्री अरूण कुमार, तत्कालीन प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, राजपुर प्रखंड, बक्सर सम्प्रति प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी, बड़हरा प्रखंड, भोजपुर (आरा) प्रासंगिक मामले में दोषी पाये गये हैं, पर अनुशासनकि प्राधिकार द्वारा संचयी प्रभाव के साथ 02 (दो) वेतनवृद्धियों पर रोक का दंड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया है।

5. अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री अरूण कुमार, तत्कालीन प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, राजपुर प्रखंड, बक्सर सम्प्रति प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी, बड़हरा प्रखंड, भोजपुर (आरा) पर बिहार सरकारी सेवक(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14(vi) में किये गये प्रावधानों के तहत संचयी प्रभाव के साथ 2(दो) वेतन वृद्धि रोकने का दंड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है। यह दंड पूर्व में दिये गये किसी दंड के अतिरिक्त होगा।

साथ ही श्री कुमार के लापरवाही के चलते निगम को हुए रू० 34,74,359/–(चौंतीस लाख चौहत्तर हजार तीन सौ उनसठ)रूपये की क्षति हुई है, जिसकी वसूली PDR ACT में किये गये मुकदमा के द्वारा जिला पदाधिकारी, बक्सर के न्यायालय के द्वारा किया जायेगा।

इस संबंध में श्री कुमार के विरूद्ध दर्ज धनसोई थाना कांड संख्या–12/16 दिनांक–07.02.2016 के फलाफल से इस विभागीय कार्यवाही का निर्णय प्रभावित होगा।

6. यह दंड निदेशालय के का०आ०सं०–171 सहपठित ज्ञापांक–2227 दिनांक–21.12.2020 द्वारा पूर्व में संचयी प्रभाव के साथ दो वेतनवृद्धि रोकने का दिये गये दंड के समाप्ति के बाद प्रभावी होगा।

ह०/–

(राजेश्वर प्रसाद सिंह)

निदेशक

ज्ञापांक :– स्था०1/आ०02–16/2016 2295 पटना, दिनांक: 31/12/2020

प्रतिलिपि :–सचिव के आप्त सचिव,योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना।

2. जिला पदाधिकारी, बक्सर को उनके पत्रांक पत्रांक–04–0424/आ० दिनांक–14.03.2016 के आलोक में सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे आरोपी श्री अरूण कुमार से दुर्विनियोग की राशि की वसूली हेतु विधि–सम्मत कार्रवाई करने की कृपा करेंगे।
3. जिला पदाधिकारी, भोजपुर (आरा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
4. जिला कोषागार पदाधिकारी, बक्सर/भोजपुर(आरा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
5. जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, बक्सर/भोजपुर(आरा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
6. प्रखंड विकास पदाधिकारी, बड़हरा प्रखंड, भोजपुर (आरा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
7. श्री सुदामा कुमार, आई०टी०मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग, पटना को निदेशालय के वेब–साईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
8. श्री अरूण कुमार, तत्कालीन प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, राजपुर प्रखंड, बक्सर सम्प्रति प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी, बड़हरा प्रखंड, भोजपुर (आरा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक 31/12